प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र.1656/2004

कोरम: माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री डी. आर . देशमुख, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता : रूपलाल नायक, आयु लगभग 36 वर्ष, श्री राम सिंह नायक, निवासी–ग्राम बडगाँव चारभाटा, पोस्ट महरम, तहसील डोंगरगाँव, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत और ग्रामीण विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर।

2) सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ०ग०)

3) कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)

4) उप संचालक, पंचायत और समाज कल्याण, जिला राजनांदगांव।

5)मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव।

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता ।

: राज्य के लिए श्री उत्कर्ष वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता।

: उत्तरवादी संख्या 5 के लिए श्री रामकृष्ण शर्मा, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 25.07.2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर, यह रिट याचिका संदर्भित विवाद्यक पर अभिमत और निर्णय लेने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. यह संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में दिया गया हैः

याचिकाकर्ता को दिनांक 12.11.1995 को पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, उक्त पद पर याचिकाकर्ता के कार्यरत रहते समय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 69 में यथा उपबंधित अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 18.06.1997 को सचिव, ग्राम पंचायत–बडगांव चारभाटा के रूप में नियुक्त किया था। जब याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत बडगांव चारभाटा के सचिव के रूप में कार्यरत था, तब जिला कलेक्टर, राजनांदगांव को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने मस्टर रोल के संधारण में कुछ गंभीर अनियमितताएं की हैं। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9.10.2001(अनुलग्नक पी/2) जारी किया गया तथा उससे स्पष्टीकरण मांगा गया। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के प्रति अपना जवाब – दावा दिनांक 12.10.2001(अनुलग्नक पी/3) प्रस्तुत किया। कलेक्टर, राजनांदगांव याचिकाकर्ता के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर, अपने आदेश दिनांक 18.6.1997(अनुलग्नक पी/4) को प्रत्याहृत करते हुए आदेश दिनांक 07.11.2001 जारी किया। कलेक्टर, जिला राजनांदगांव के उपरोक्त आदेश दिनांक 7.11.2001 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 91 के तहत आयुक्त, राजस्व मंडल, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 22.11.2002 द्वारा निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर और आयुक्त के उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, जो कि इस प्रकरण में द्वितीय उत्तरवादी हैं, के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की, जो भी अस्वीकार हो गई। इसलिए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. जब यह प्रकरण न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो माननीय न्यायाधीश ने **प्रकाश चंद्र पटेल विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[1] के प्रकरण में निर्णय दिनांक 15.3.2004 में न्यायमूर्ति एल.सी. भादू के अभिमत के सही होने पर संदेह करते हुए इस रिट याचिका को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि संदर्भित करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 1 के उपनियम (3) के परंतुक के अनुसार, ये नियम केवल राज्य सेवा के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं जो अधिनियम की धारा 69 के तहत पंचायतों की सेवा में पदस्थ हैं या अधिनियम की धारा 71 के तहत पंचायतों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

5. सबसे पहले उन वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित है जो निर्णय लेने से संबंधित हैं। नियमों के नियम 1 का उप–नियम (3) इस प्रकार हैः

---

1 2004 एल. टी (छ. ग.) 142

"(3) इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के कार्यों के संबंध में नियोजित तथा जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत के कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई बात राज्य सेवा के उन अधिकारियों और सेवकों पर लागू नहीं होगी जो अधिनियम की धारा 69 के अधीन पंचायतों के अधीन पदस्थ हैं या धारा 71 के अधीन पंचायतों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

अधिनियम की धारा 69 की उप–धारा (1) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"**69. सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति** – (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी किसी ग्राम पंचायत के लिए या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकेगा :

अधिनियम की धारा 71 इस प्रकार हैः

71. **शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति** – राज्य सरकार अपने ऐसे सेवकों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, पंचायत की सेवा में प्रतिनियुक्ति कर सकेगी। ऐसे प्रतिनियुक्ति सेवकों की सेवा शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, विहित की जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह किसी का प्रकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता को जिला कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा दिनांक 18.6.1997 को ग्राम पंचायत बडगांव चारभाटा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, जब वह राज्य की सेवा में थे। दूसरी ओर, यह सभी का सामान्य प्रकरण है कि याचिकाकर्ता को शुरू में 12.11.1995 पर ग्राम पंचायत बडगांव चारभाटा के पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके इस पद पर इस प्रकार कार्यरत रहते समय, उसे कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा अधिनियम की धारा 69 में यथा उपबंधित अनुसार ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, नियमों के नियम 1 के उपनियम (3) का परंतुक इस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी प्रयोज्य नहीं है और इसी प्रकार की तथ्यात्मक स्थिति में न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा दी दिया गया निर्वचन और अभिमत निरपवाद

है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, कलेक्टर को अपने आदेश दिनांक 18.6.1997 को प्रत्याहृत करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 7.11.2001, जिसके तहत उन्होंने याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत बड़गांव चारभाटा का पंचायत सचिव नियुक्त किया था, पारित नहीं करना चाहिए था। राजनांदगांव के कलेक्टर की आक्षेपित कार्रवाई पंक्ति में अवनत करने के समान है और चूंकि 'पंक्ति में अवनत करना' नियमों के नियम 5 (ख) (iv) के संदर्भ में एक दीर्घ शास्ति है, इसलिए इसे नियमों के नियम 7 के तहत परिकल्पित नियमित विभागीय जांच किए बिना पंचायत सेवा के किसी सदस्य पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस परिस्थिति में, कलेक्टर, राजनांदगांव जिला द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को विधिक रूप से मान्य नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. परिणामस्वरूप और पूर्वगामी विवेचनाओं के लिए, हम आक्षेपित आदेश दिनांक 7.11.2001(अनुलग्नक पी/4) को रद्द करते हुए रिट याचिका को स्वीकार करते हैं। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश दिनांक 7.11.2001(अनुलग्नक पी/4) को रद्द करने से प्राप्त सभी लाभों, आर्थिक और अन्यथा, का हकदार है। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश कलेक्टर, जिला राजनांदगांव और/या ग्राम पंचायत बड़गांव चारभाटा, यथास्थिति, को याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कथित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोकेगा, यदि उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है, तो यह कार्रवाई विधि के अनुसार और नियमों के नियम – 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख

न्यायाधीश

अंजनी

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur